

**राजस्थान—सरकार**  
**निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ**  
**2, जल पथ, गांधीनगर, जयपुर**

क्रमांक एफ.29(3)का.भ.नि / मो. / आईसीडीएस / 2015 || 4568

मुख्य अभियंता,  
सा.नि.वि. (भवन एवं पथ)  
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर दिनांक:  
30.8.16

**विषय:—** वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजना मद के अन्तर्गत उप निदेशक एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय निर्माण में राशि के उपयोग के लिए आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने की प्रशासनिक स्वीकृति बाबत्।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजना मद के अन्तर्गत उप निदेशक एवं बाल विकास परियोजना स्तरीय कार्यालय निर्माण के लिए मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. (भवन एवं पथ) को राशि 335.66 लाख (अक्षरे राशि रु. तीन सौ पेंतीस लाख छियासठ हजार मात्र) के व्यय हेतु निम्न लेखाशीर्ष अंतर्गत आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है:—

**बजट मद —**

- 4236— पोषण पर पूँजीगत परिव्यय।
- 02— पोषक योजना तथा सुपेय का वितरण।
- 800— अन्य व्यय।
- (03)— भवन निर्माण (आयोजना)
- 17— वृहद निर्माण कार्य

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2015–2016 में प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 114945 दिनांक 18–12–2015 राशि रु 277.60 लाख एवं 37775 दिनांक 21.03.2016 राशि रु 67.57 लाख कुल राशि 345.17 लाख रूपये की जारी करते हुए, जिला/परियोजना कार्यालयों के भवन निर्माण के पाँच कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता (भवन एवं पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया गया था। जिसके विरुद्ध कुल राशि रु 9.51 लाख का व्यय किया गया। उक्त कार्यों को पूर्ण करने हेतु शेष राशि रूपये 335.66 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपयोग करने के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय—2) विभाग की आई.डी.संख्या 161600970 दिनांक 12.08.2016 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। विभाग इस राशि का उपयोग तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करते हुए करेगा। इस राशि के उपयोग हेतु RTPPA की पालना किया जाना सुनिश्चित करावे।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
समेकित बाल विकास सेवाएं,

राजस्थान जयपुर

जयपुर दिनांक: 30.8.16

क्रमांक एफ.29(3)का.भ.नि / मो. / आईसीडीएस / 2015 || 4569-590

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीया राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) गहिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, गहिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।

3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), लेखा परीक्षा--प्रथग, राज०, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, मुख्यालय, राज. जयपुर।
6. निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जे-7, इलाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
7. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि गुरुव्य अभियंता साना. वि. (भवन एवं पथ) जयपुर को उक्त वर्णित राशि की सीमा तक आहरण वितरण अधिकारी धोषित करने का श्रम करावें।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, राज. जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
10. उप निदेशक, गहिला एवं बाल विकास विभाग, अजगेर/नागौर/भीलवाडा/जयपुर।
11. बाल विकास परियोजना अधिकारी, अजगेर—शहर/ब्यावर (अजगेर)/नागौर (ग्रामीण), शहपुरा (भीलवाडा)/बसरी (जयपुर)।
12. परियोजना अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग, अजगेर।
13. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

।।  
अतिरिक्त निदेशक (आई)  
समेकित बाल विकास सेवाएं,  
राजस्थान जयपुर